जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गोड्डा ।

मनरेगा अन्तर्गत प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी के पद पर नियुक्ति हेतु

।। आवश्यक सूचना ।।

ग्रामीण विकास विभाग, झारखंड सरकार का नियमावली संकल्प ज्ञापांक 4729/ दिनांक 04.06.2007 के आलोक में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गोड्डा के अधीन केन्द्र प्रायोजित महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) की योजनाओं के सफल कार्यान्वयन हेतु **''प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी''** के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु ऑनलाईन आवेदन की मांग की गई थी । अभ्यर्थियों द्वारा स्वयं भरे गये ऑनलाईन आवेदन प्राप्त हुआ है, जिसे अभिकरण कार्यालय, गोड्डा के **सूचना पट्ट** एवं एन0आई0सी0, गोड्डा के वेवसाईट ***www.godda.nic.in*** पर प्रकाशित किया किया गया था ।

प्रकाशित सूची में अभ्यर्थियों से दिनांक 23.06.2017 के अपराह्न 05:00 बजे तक आपत्ति की मांग की गई थी । कुछ अभ्यर्थियों से प्राप्त आपत्ति के पश्चात् जिला के चयन समिति की बैठक में आपत्ति का निराकरण किया गया । निराकरण के पश्चात् प्रारंभिक मेधा सूची को स्वच्छ किया गया । चयन समिति की बैठक में अभ्यर्थियों से पुनः दावा–आपत्ति लेने का निर्णय लिया गया ।

अभ्यर्थी, पुनः दावा–आपत्ति के लिये दिनांक **31.05.2018** के अपराह्न **05:00** बजे तक अभिकरण कार्यालय, गोड्डा में आवेदन देकर अथवा ***objectionfile@gmail.com*** में ऑनलाईन आवेदन देकर चयन समिति द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में आपत्ति/ दावा दाखिल कर सकते हैं । निर्धारित समय–सीमा के अन्दर आपत्ति/ दावा प्राप्त नहीं होने की स्थिति में विचार नहीं किया जायेगा । अभ्यर्थी को आपत्ति आवेदन के साथ भरे गये मूल फॉर्म की प्रति, संबंधित आपत्ति का प्रकार एवं साक्ष्य देना अनिवार्य है ।

प्राप्त आपत्ति/ दावा निराकरण के पश्चात् मेधा सूची अभिकरण कार्यालय, गोड्डा के **सूचना पट्ट** एवं एन0आई0सी0, गोड्डा के वेबसाईट ***www.godda.nic.in*** पर प्रकाशित किया जायेगा, जिसकी सूचना समाचार पत्र के माध्यम से दे दी जायेगी ।

ह0/–
उप विकास आयुक्त–सह
जिला कार्यक्रम समन्वयक,
गोड्डा ।